

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर
कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम 20 के तहत चयनित/ राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान, अजमेर के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयन किए जाने के उपरान्त वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक:एफ -12(6) एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.3.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत दो वर्ष के परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में/नियत स्थिर मानदेय/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किया गया था। निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक की दर्शाई गई कार्यग्रहण दिनांक से दो वर्ष की परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के प्रावधानानुसार कालम 7 में अंकित दिनांक से स्थाईकरण किया जाकर नियमित वेतन शृंखला पे मेट्रिक्स लेवल 11 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


क.स.	मेरिट कमांक एवं श्रेणी	नाम व.अ. मय पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	जन्मतिथि	व.अ. पद पर कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण तिथि
1	R-10	राहुल कुमार महरवाल राउमावि डूमाडा,अजमेर	अंग्रेजी	04-02-1988	24-08-2016	24-08-2018
2	2304	संतोष सिंह भाटी रामावि छावटा कलां,नागौर	सामाजिक विज्ञान	07-08-1970	04-11-2016	04-11-2018
3	R-655	गिरिजा शर्मा, राबामावि थांवल,नागौर	अंग्रेजी	15-10-1975	26-09-2016 A/N	27-09-2018
4	487	हंसराज जाट,व.शा.शि. राउमावि बडागाँव,निवाई,टोंक	-	08-08-1985	09-04-2016	09-04-2018
5	1354	राजेन्द्र कुमार प्रजापत राबामावि लावा,टोंक	विज्ञान	06-06-1987	05-11-2016	05-11-2018


संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
अजमेर संभाग, अजमेर

कमांक संनि/स्कूल शि./अज/संस्था-4/फा-स्थाई/18/5316 दिनांक-28.12.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-1.

1. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा
2. संस्था प्रधान उमावि/मावि (छात्र/छात्रा).....
3. संबंधित कार्मिक
4. निर्देशन



संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
अजमेर संभाग, अजमेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर

—: कार्यालय आदेश :—

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 22.05.2009 के अनुसार निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक जिनकी नियुक्ति वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानों के अनुसार नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई थी, को संबंधित संस्थाप्रधान/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा पर राजस्थान सेवा नियम 96 (ख) एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.6.14 संशोधित परिपत्र दिनांक 7.8.2014 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक **F.15(1)FD/Rules/2017 Jaipur dated : 26-09-2018** के अनुसार स्वीकृति किए जाने की एतद् द्वारा सहमति प्रदान की जाती है । संबंधित संस्थाप्रधान इनके सेवाभिलेख में अवकाश स्वीकृति का इन्द्राज कर यदि पूर्व में अवकाश अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है तो उसकी वसूली कर राजकोष में जमा कराते हुए पालना से अवगत करावें ।


क्र०स०	नाम व०अ०, विषय एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान	अवधि		कुल दिवस	अवकाश का प्रकार
		दिनांक से	दिनांक तक		
01	राहुल कुमार महरवाल, व०अ०, अंग्रेजी, राउमावि डूमाडा, अजमेर	14.12.17	22.12.17	09 दिन	असाधारण अवैतनिक
		24.01.18	24.01.18	01 दिन	
		12.02.18	12.02.18	01 दिन	
		15.02.18	15.02.18	01 दिन	
		23.02.18	23.02.18	01 दिन	
		03.03.18	03.03.18	01 दिन	
		20.03.18	20.03.18	01 दिन	
		19.04.18	20.04.18	02 दिन	
		06.08.18	06.08.18	01 दिन	
		कुल योग			


संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर

क्रमांक:—संनि/स्कूल शि./अज/संस्था-4/फा-स्थाई./18/5309 दिनांक 28.12.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निदेशक माध्यमिक शिक्षा – राजस्थान, बीकानेर
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 3 संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 4 निर्देशन पत्रावली


संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर